31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही (01.01.2026 से 31.03.2026 तक) हेतु राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक (दिनांक 20.04.2026) के विवरण

कार्यालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति से सम्बंधित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में 01.01.2026 से 31.03.2026 तक की तिमाही के दौरान हिन्दी में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। इस बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे –

क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	
1.	श्री पुरुषोत्तम तिवारी, प्रधान महालेखाकार	अध्यक्ष
2.	श्रीमती राजवन्त कौर, उप महालेखाकार (प्रशा.)	सचिव
3.	सुश्री अम्बिका रैना, उप महालेखाकार (एएमजी-II)	सदस्य
4.	श्री देवेन्द्रनाथ मेहता, कल्याण अधिकारी	सदस्य
5.	श्री मनोहर ग्रेवाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
6.	श्री राकेश भान, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
7.	श्रीमती अनुराधा सूद, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
8.	श्री अरविन्द सूद, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
9.	श्री अमिताभ शर्मा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
10.	श्रीमती पूनम गुप्ता, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
11.	श्री रामदास भवानी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
12.	श्री महेंद्र सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
13.	श्री दीपक जोशी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
14.	श्रीमती उषा किरण, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
15.	श्री कश्मीर चंद, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
16.	श्री जोगिन्दर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
17.	श्रीमती दीपा चौहान, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
18.	श्रीमती सूरज नेगी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
19.	सुश्री समता खानचंदानी, क. हि. अ.	सदस्य
20.	श्री रामप्रकाश मीणा, क. हि. अ.	सदस्य
21.	श्री राहुल मेघवाल, व.ले.प.	सदस्य
22.	श्री विवेक कुमार, व.ले.प.	सदस्य
23.	श्रीमती कमला देवी, ले.प.	सदस्य
24.	श्री राजेश कुमार, लिपिक	सदस्य

<u>राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चतुर्थ तिमाही बैठक के कार्यवृत्त</u>

सर्वप्रथम सभी सदस्यों का अभिवादन किया गया, तदोपरांत जिन मदों पर विचार-विमर्श किया गया उनके विवरण निम्नवत हैं –

मद संख्या -1. बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों को पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों एवं उन पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही से अवगत करवाया गया।

मद संख्या-2. (1) समिति के सदस्यों को जानकारी दी गई कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों (राजभाषा नियम-5) का उत्तर दिए जाने में हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत **100%** रहा।

(2) अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिए जाने में हिन्दी पत्रचार का प्रतिशत **100%** रहा।

(3) इस तिमाही में कार्यालय में हिन्दी में अपनी ओर से भेजे गए पत्रों की प्रतिशतता 'क' क्षेत्र में **99.8[illegible]%** 'ख' क्षेत्र में **100%** व 'ग' क्षेत्रों में **100** % रही।

(4) इस तिमाही में कार्यालय में फाइलों/दस्तावेजों पर हिन्दी में लिखी गई टिप्पणियों का प्रतिशत **97.59%** रहा।

मद संख्या-3. समिति के सदस्यों को जानकारी दी गई कि इस तिमाही के दौरान कार्यालय के दो अनुभागों – 1. राज्य वित्त लेखा विंग (फा) एवं 2. सामान्य क्षेत्र (एआरसी)-एएमजी-III में किए जा रहे हिन्दी कार्यों की प्रगति का निरीक्षण जाँच-बिन्दुओं के आधार पर किया गया। निरीक्षण के दौरान उनके अभिलेखों में रजिस्टरों/दैनिकियों के मुख-पृष्ठ द्विभाषी न होना अथवा अंग्रेजी के शीर्षक पहले होना, कुछ प्रविष्टियां एवं कुछ स्थानों पर हस्ताक्षर अंग्रेजी में होना, इत्यादि जैसी कमियां यदि पाई गई, तो उन्हें ठीक करवा दिया गया।

मद संख्या-4. समिति के सदस्यों को जानकारी दी गई कि इस तिमाही के दौरान 11 और 12 मार्च 2026 को एक पूर्ण दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 13 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

मद संख्या -5. अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों को निम्नलिखित निर्देश दिए –

1. हिन्दी में पत्राचार के शत-प्रतिशत लक्ष्य को बनाए रखने का हर संभव प्रयास करें।
2. हिन्दी कार्यशाला में भाषिणी अनुवाद टूल का प्रशिक्षण आयोजित करें।
3. ई-ऑफिस में सभी टिप्पणियां हिंदी में ही लिखे।
4. कार्यालय की हिन्दी पत्रिका 'हिमप्रभा' में रचनाएं अवश्य भेजे।

तदोपरांत धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

उप-महालेखाकार (प्रशासन)